कार्यालय जिला सहकारी बैंक लि0, गढ़वाल (कोटद्वार)
वर्ग–4 (सहयोगी / गार्ड) के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति

जिला सहकारी बैंक लि0, गढ़वाल (कोटद्वार) में वर्ग–4 (सहयोगी / गार्ड) के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। यह रिक्तियां अस्थाई हैं, किन्तु उनके चलते रहने की सम्भावना है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। अपरिहार्य स्थिति में बैंक को रिक्तियां निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जाये।

विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि	25–12–2020
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	07–02–2021

1– **(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः–**

पदनाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
			महिला	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
वर्ग–4 (सहयोगी / गार्ड)	अनु0जा0	7	2	0	0	0	0
	अनु0ज0जा0	0	0	0	0	0	0
	अ0पि0व0	6	1	0	0	0	0
	आ0क0व0	4	1	0	0	0	0
	सामान्य	18	6	0	1	0	1
	योग	35	10	0	1	0	1

नोट :– अनु0जा0–अनुसूचित जाति, अनु0ज0जा0–अनुसूचित जनजाति,
अ0पि0व0–अन्य पिछड़ा वर्ग आ0क0व0–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

(ii) वेतनमान– 12500–400 / 5–14500–500 / 5–17000–720 / 5–20600–850 / 5–24850

2– <u>अर्हताएंः–</u>

(क) शैक्षिक व अन्य योग्यताः– **(i)** अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के किसी जनपद का अधिवासी / स्थायी निवास प्रमाण–पत्र धारक हो।
(ii) अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख) आयुः– विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अधिकतम आयु सीमा में छूटः– परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिक एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के लिये समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

नोटः– जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे नियुक्ति प्राधिकारी को तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उच्चतम् आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी / उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(ग)– आरक्षणः–

(i) उर्ध्व आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़ी जातियों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशानुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर लें।

(ii) क्षैतिज आरक्षण– महिलायें, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक व उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशानुसार देय होगा।

नोटः–

- यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे जिसकी मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे।

(घ)– शुल्कः– अभ्यर्थी सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे।

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
1	सामान्य / ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थी	रू0 750 / – मात्र
2	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / दिव्यांग वर्ग / उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों के अभ्यर्थी	रू0 500 / – मात्र

आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य के जिला सहकारी बैंक या उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो **''जिला सहकारी बैंक लि0 गढ़वाल (कोटद्वार)''** के पक्ष में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न किया जायेगा। शुल्क वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ड़)– **चयन की प्रक्रियाः–** वर्ग–4 (सहयोगी / गार्ड) के पदों पर चयन हेतु कुल 50 अंक निर्धारित होंगे। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा।

(i) हाईस्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रथम श्रेणी अथवा 'ए' ग्रेड हेतु 15 अंक, द्वितीय श्रेणी अथवा 'बी' ग्रेड हेतु 13 अंक तथा तृतीय श्रेणी अथवा 'सी' व उससे निम्न उत्तीर्ण ग्रेड हेतु 11 अंक निर्धारित होंगे। **(नोट– ग्रेड–ए में सभी प्रकार के ए–ग्रेडिंग, ग्रेड–बी में सभी प्रकार के बी–ग्रेडिंग तथा ग्रेड–सी व उससे निम्न में सभी प्रकार की सी ग्रेडिंग व उससे निम्न जो ग्रेडिंग हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण के लिए निर्धारित हो।)**

(ii) सहकारी संस्थाओं / सहकारी परियोजनाओं / सहकारिता विभाग में अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक (अनुभव एक वर्ष के लिए 02 अंक)।

(iii) पाठ्योत्तर में जिला/राज्य स्तर/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियों हेतु 05 अंक।

(iv) शारीरिक दक्षता के 10 अंक, जिसमें पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर दौड़ हेतु अधिकतम 05 अंक व बैठक हेतु अधिकतम 05 अंक एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु 50 मीटर दौड़ हेतु अधिकतम 05 अंक व रस्सी कूद हेतु अधिकतम 05 अंक।

नोटः— दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की जायेगी।

(v) साक्षात्कार के 10 अंक।

(च) चयन सूचीः—

(i) साक्षात्कार व अन्य मूल्यांकन के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जाएगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक समान होने की दशा में जनपद पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी, यदि अभ्यर्थी जनपद पौड़ी गढ़वाल के ही मूल निवासी हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा।

(ii) यदि किसी अभ्यर्थी के चयनोपरान्त उसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाये तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा चयनित पद पर योगदान नहीं किया जाता है तो उस पद को अगले चयन वर्ष के लिए अग्रेनीत कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रेषण :—

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप पर ही मान्य होंगे।
2. पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित दिनांक 07—02—2021 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से "सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 गढ़वाल (कोटद्वार) मुख्यालय कोटद्वार" बद्रीनाथ मार्ग, निकट—तहसील कोटद्वार के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर "वर्ग—4 (सहयोगी/गार्ड) भर्ती 2020—21" तथा "श्रेणी व उपश्रेणी" स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
3. साधारण डाक/कोरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, जिसमें उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित हो चस्पा करेंगे।
5. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 9X4 साईज का एक खाली लिफाफा अपने पत्र व्यवहार का पता लिखकर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चिपकाकर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
6. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण—पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक होगी—
   - अभ्यर्थी के उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थाई निवासी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल/स्थायी निवास प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   - शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां।
   - आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   - सहकारी संस्थाओं/सहकारी परियोजनाओं/सहकारिता विभाग में अनुभव, यदि हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण—पत्र की प्रति।
   - सेवायोजित होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण—पत्र की प्रति।
   - पाठ्योत्तर में जिला/राज्य स्तर, राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियों की प्रमाणित छायाप्रति।
7. अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र एवं बिना प्रमाण—पत्रों के प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
8. यदि डाक व्यवस्था के कारण आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक बैंक कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।

अन्यः—

1. ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, अपात्र माने जायेंगे।
2. अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हो, नियुक्ति हेतु अपात्र माने जायेंगे।
3. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम से सेवाच्युत अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।
4. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा चयन के लिए किसी भी प्रकार के अनैतिक दबाव को उसकी अयोग्यता समझा जायेगा।

सचिव/महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि0
गढ़वाल (कोटद्वार)।